CCI NG 3.17 Product: ETDelhiBS PubDate: 09-07-2021 Zone: DelhiCapital Edition: 1 Page: ETDCII User: anurag.upadhyay Time: 07-08-2021 23:56 Color:

Omers, Norfund in Talks to Pick Up 20% Stake in Avaada Energy for $200 m

Mohit.Bhalla@timesgroup.com

New Delhi: Canada-based pension fund Omers and Norway government's private equity arm Norfund are in talks to invest $200 million in Avaada Energy for a 20% stake, pegging the value of the four-year-old renewable energy startup at $1 billion, people aware of the matter said.

Talks with the two funds are in an advanced stage though due diligence, which requires site visits, has been delayed due on account of travel restrictions between March and May, the sources said.

Omers and Norfund declined to comment when contacted. Avaada Energy declined to comment.

Avaada Energy was founded in 2017 by former Welspun Energy promoter Vineet Mittal who left Welspun Group after it sold its renewable business to Tata Power for ₹10,000 crore in 2016.

Avaada Energy has executed 2 gigawatt of solar power generation capacity so far and has 3.5 W of capacity under construction across Africa and India. In some cases, it acts as a contractor for setting up solar power projects while in others it owns power generation facilities.

Bharti Airtel had recently picked up an 8% stake in a solar power subsidiary of Avaada Energy.

Mittal is a Harvard Business School graduate who is credited for the success of Welspun's foray into renewable energy after he partnered with the group's promoter Bal Krishna Goenka.

एन सी एल NCL Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

Tender Notice

All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for procurement of Goods, works and Services are available on website of Coal India Limited (**www.coalindia.in** / respective subsidiary Company, CIL e-procurement portal **https://coalindiatenders.nic.in** & central public procurement portal **https://eprocure.gov.in** In addition, procurement is also done through GeM Portal **https://gem.gov.in.**

R-17

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED
(A Government of West Bengal Enterprise)
Registered Office: Vidyut Bhavan, DJ Block, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091
CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: www wbsetcl in

WBSETCL

NIT No.:CE(P)/WBSETCL/ISO/21-22/09 **Date: 09.07.2021**

The **Chief Engineer (Procurement)** invites e-Tender for procurement of Isolators ***(3rd Call)***. Interested bidders may obtain bidding documents by registering themselves on the e-tendering portal (**https://wbtenders.gov.in** or **https://etender.wb.nic.in**) and thereby downloading the bidding documents from **09.07.2021, 11:00 A.M.** and shall be submitted (online) up to **12:00 Noon** on **04.08.2021**. Also visit the Company's website (**www.wbsetcl.in**) for details.

ICA-T7975(3)/2021

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

Notice

Notice is hereby given pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated 6th November, 2018 that the Company has received request to transfer the below mentioned equity shares as these equity shares were purchased by them long back and could not get transferred/registered in their names earlier.

Sl No.	Folio No.	Name & Address of Transferor(s)	Name &Address of Transferee	Certificate No.(s)	Distinctive Nos. From	Distinctive Nos. To	No.of Shares
1.	168654	K K Srivastava Hyderabad Industries Ltd., Autsanatnagar, Hyderabad-500018	Ramswaroop Agarwal, 21-3-108,Tagari-Naka, Kassar Hatta Hyderabad-500002	344929 344931 344933 344935 344943 344945	19181807 19182007 19182207 19182407 19183207 19183407	19181906 19182106 19182306 19182506 19183306 19183506	600
2.	168656	Ambika Srivastava C/o K.K.Srivastava, Hyderabad Industries Ltd., Sanatnagar, Hyderabad-500018	Ramswaroop Agarwal,21-3-108, Tagari-Naka, Kassar Hatta Hyderabad-500002	461438	30832707	30832806	100
3.	168655	Ambika Srivastava C/o K.K.Srivastava, Hyderabad Industries Ltd., Sanatnagar, Hyderabad-500018	Ramswaroop Agarwal,21-3-108, Tagari-Naka, Kassar Hatta Hyderabad-500002	461496 461498	30838507 30838707	30838606 30838806	200

The aforesaid shares have been transferred to IEPF Authority. Any person(s) who has/ have any claim/ objection in respect of these shares should write to the Company Secretary at the address mentioned in the notice within 30 days from the date of publication of this notice failing which the Company will proceed to issue entitlement certificate in favour of Transferee who have claimed to purchase the said shares and holding the original share certificates.

Sd/-
(M B Balakrishnan)
Company Secretary

Date : 8th July, 2021
Place: New Delhi

Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003
Tel: +91 11 24367481; Fax: +91 11 24367015
Corporate Identity Number: L27109DL1973GOI006454, Website: www.sail.co.in

There's a little bit of SAIL in everybody's life

M.P. URJA VIKAS NIGAM LTD. (MPUVNL)
Urja Bhawan Link Road No. 2, Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Telephone No. : +91-755-2553595, 2556566, 2767270
Website : http://www.mprenewable.nic.in
Email : spvrc.mpuvn@gmail.com

RFP No: UVN/2021/SPVRC/1098 Dated : 07.07.2021

INVITE BIDS

Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited, invites Bids from the eligible Bidder to participate through this Request for Proposal (RFP) for Standardization of Rates and Selection of Contractors For SPV Street Light (LED) SPV Power Pack, SPV Micro Water Pumping System, SPV Fencing, SPV Study Lamp (LED) and SPV No Grid No Battery Systems (Pilot Project) With Internal Components and Other Related Civil Works (As Per Site Requirement) with five year warranty and comprehensive maintenance.

Bid documents which include eligibility criteria, technical specifications, various conditions of Agreement, formats, etc. can be viewed from Nodal Agency's website and can be downloaded from **https://www.mptenders.gov.in** for online.

M.P. Madhyam/101226/2021 **SUPERINTENDING ENGINEER**

ऊर्जा विभाग
झारखण्ड सरकार
विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
विद्युत कार्य प्रमण्डल, इंजीनियरिंग हॉस्टल नं0–2 धुर्वा, रॉंची

अल्पकालीन ई–प्रोक्योरमेंट सूचना

ई–निविदा प्रसंग सं0– Energy/EWD/Ranchi/11/2021-22 दिनांक– 07/07/2021

1.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
I	ईटखोरी, चतरा स्थित भद्रकाली मंदिर के परिसर में स्ट्रीट लाईट, हाईमास्ट लाईट, आर0 जी0 बी0 फल्ड लाईट, एवं डकोरेटिव लैम्प पोस्ट के अधिष्ठापन का कार्य।	2,30,84,710=00	10,000=00	4,62,000=00	60 दिन
2.	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	15.07.2021			
3.	निविदा जमा करने की तिथि	16.07.2021 के 10.30 बजे अपराह्न से 22.07.2021 के 2.00 बजे अपराह्न तक			
4.	निविदा खोलने की तिथि	23.07.2021 को 3.00 बजे अपराह्न में			
5.	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, रॉंची।			
6.	निविदा खोलने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	मुख्य विद्युत अभियन्ता–सह–मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, रॉंची।			
7.	ई प्रोक्युरमेन्ट प्रकोष्ट का फोन नं0	0651–2400712, 0651–2490069			

नोट :– निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in मे देखा जा सकता है।

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
विद्युत कार्य प्रमण्डल, रॉंची

PR 249292 Energy(21-22).D

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

Registered Office: 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021. Tel: +91 22 6778 9595 Fax : +91 22 6630 3672 Email: investor.relations@tcs.com website: www.tcs.com CIN: L22210MH1995PLC084781

TATA

PART I : Audited Consolidated Interim Statement of Financial Results (₹ crore)

	Three month period ended			Year ended
	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021
Revenue from operations	45,411	43,705	38,322	1,64,177
Other income	721	931	598	3,134
TOTAL INCOME	**46,132**	**44,636**	**38,920**	**1,67,311**
Expenses				
Employee benefit expenses	25,649	23,625	22,093	91,814
Fees to external consultants	3,900	3,874	3,063	13,214
Cost of equipment and software licences	258	454	346	1,462
Depreciation and amortisation expense	1,075	1,067	976	4,065
Other expenses	2,941	2,951	2,796	11,141
TOTAL EXPENSES	**33,823**	**31,971**	**29,274**	**1,21,696**
PROFIT BEFORE FINANCE COSTS, EXCEPTIONAL ITEM AND TAX	**12,309**	**12,665**	**9,646**	**45,615**
Finance costs	146	138	142	637
PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEM AND TAX	**12,163**	**12,527**	**9,504**	**44,978**
Exceptional item (Refer note 2)				
Provision towards legal claim	-	-	-	1,218
PROFIT BEFORE TAX	**12,163**	**12,527**	**9,504**	**43,760**
Tax expense				
Current tax	3,138	2,879	2,665	11,635
Deferred tax	(6)	366	(210)	(437)
TOTAL TAX EXPENSE	**3,132**	**3,245**	**2,455**	**11,198**
PROFIT FOR THE PERIOD	**9,031**	**9,282**	**7,049**	**32,562**
Profit for the period attributable to:				
Shareholders of the Company	9,008	9,246	7,008	32,430
Non-controlling interests	23	36	41	132
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI)				
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss	(145)	26	136	(84)
Income tax on items that will not be reclassified subsequently to profit or loss	23	1	(29)	11
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss	280	(831)	895	566
Income tax on items that will be reclassified subsequently to profit or loss	21	192	(226)	(32)
TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME / (LOSSES)	**179**	**(612)**	**776**	**461**
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD	**9,210**	**8,670**	**7,825**	**33,023**
Total comprehensive income for the period attributable to:				
Shareholders of the Company	9,179	8,666	7,781	32,914
Non-controlling interests	31	4	44	109
Paid up equity share capital	370	370	375	370
(Face value : ₹1 per share)				
Total Reserves (including Non-controlling interests)				**86,738**

Earnings per equity share:- Basic and diluted (₹)	24.35	24.97	18.68	86.71
Dividend per share (Par value ₹1 each)				
Interim dividend on equity shares (₹)	7.00	-	5.00	23.00
Final dividend on equity shares (₹)	-	15.00	-	15.00
Total dividend on equity shares (₹)	7.00	15.00	5.00	38.00
Total equity dividend percentage	700	1,500	500	3,800

PART II : Consolidated Segment Information (₹ crore)

	Three month period ended			Year ended
	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021
SEGMENT REVENUE				
Banking, Financial Services and Insurance	18,151	17,559	15,282	65,634
Manufacturing	4,399	4,213	3,884	15,950
Retail and Consumer Business	7,171	6,778	5,912	25,589
Communication, Media and Technology	7,412	7,042	6,495	27,077
Life Sciences and Healthcare	4,899	4,524	3,912	16,968
Others	3,379	3,589	2,837	12,959
Total	**45,411**	**43,705**	**38,322**	**1,64,177**
SEGMENT RESULTS				
Banking, Financial Services and Insurance	4,892	4,986	4,115	18,681
Manufacturing	1,336	1,280	986	4,483
Retail and Consumer Business	2,093	2,039	1,302	7,151
Communication, Media and Technology	2,247	2,141	1,886	8,010
Life Sciences and Healthcare	1,536	1,402	1,217	5,253
Others	559	953	518	2,968
Total	**12,663**	**12,801**	**10,024**	**46,546**
Unallocable expenses*	1,221	1,205	1,118	5,920
Operating income	**11,442**	**11,596**	**8,906**	**40,626**
Other income	721	931	598	3,134
PROFIT BEFORE TAX	**12,163**	**12,527**	**9,504**	**43,760**

*Includes the provision towards legal claim of ₹1,218 crore. Refer note 2.

Note: The assets and liabilities of the Group are used interchangeably amongst segments. Allocation of such assets and liabilities is not practicable and any forced allocation would not result in any meaningful segregation. Hence, assets and liabilities have not been identified to any of the reportable segments.

Select explanatory notes to the Statement of Audited Consolidated Interim Financial Results for the three month period ended June 30, 2021

1. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 - Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The results for the three month period ended March 31, 2021 are the balancing figures prepared on the basis of the consolidated audited financial statements for the year ended March 31, 2021 and the consolidated audited condensed interim financial results upto the third quarter ending December 31, 2020, which are prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015. These results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 8, 2021. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
2. Pursuant to ruling at the Appeals Court on August 20, 2020, in the case relating to Epic Systems Corporation (referred to as Epic) for alleged unauthorised access to and download of Epic's confidential information and use thereof in the development of the Company's product MedMantra, considering all the facts and various legal precedence, on a conservative and prudent basis, the Company provided ₹1,218 crore (US $165 million) towards this legal claim in its consolidated statement of profit and loss for the three month period ended September 30, 2020. This was presented as an "exceptional item" in the consolidated statement of profit and loss. The Company filed a petition for re-hearing of the awards for both compensatory and punitive damages at the Appeals Court on September 3, 2020. Epic also filed for re-hearing of the Appeals Court's decision that invalidated a portion of the award of punitive damages. In November 2020, the petitions for re-hearing filed by the Company and Epic, respectively, were denied by the Appeals Court. The proceedings for assessing punitive damages have been remanded back to the District Court. Both the Company and Epic have filed their briefs at the District Court in relation to punitive damages. The matter is under consideration by the District Court. On April 8, 2021, Epic has approached the Supreme Court seeking review of the order of the Appeals Court vacating the award of ₹2,084 crore (US $280 million) towards punitive damages and remanding back to District Court with an instruction to reassess the punitive damages, to no more than ₹1,042 crore (US $140 million). The Company will continue to pursue all legal options available in the matter.
3. The Board of Directors at its meeting held on July 8, 2021, has declared an interim dividend of ₹7.00 per equity share.
4. The results for the three month period ended June 30, 2021, are available on the BSE Limited website (URL:www.bseindia.com/corporates), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com/corporates) and on the Company's website (URL: www.tcs.com/investors).

For and on behalf of the Board of Directors

Mumbai
July 8, 2021

Rajesh Gopinathan
CEO and Managing Director

Audited Unconsolidated Interim Statement of Financial Results (₹ crore)

	Three month period ended			Year ended
	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021
Revenue from operations	37,722	36,017	31,624	1,35,963
Other income	756	864	706	5,400
TOTAL INCOME	**38,478**	**36,881**	**32,330**	**1,41,363**
Expenses				
Employee benefit expenses	19,212	17,419	16,637	69,046
Fees to external consultants	4,243	4,188	3,387	14,527
Cost of equipment and software licences	224	391	284	1,230
Depreciation and amortisation expense	809	788	739	3,053
Other expenses	2,850	3,067	2,722	10,850
TOTAL EXPENSES	**27,338**	**25,853**	**23,769**	**98,706**
PROFIT BEFORE FINANCE COSTS, EXCEPTIONAL ITEM AND TAX	**11,140**	**11,028**	**8,561**	**42,657**
Finance costs	120	111	118	537
PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEM AND TAX	**11,020**	**10,917**	**8,443**	**42,120**
Exceptional item (Refer note 2)				
Provision towards legal claim	-	-	-	1,218
PROFIT BEFORE TAX	**11,020**	**10,917**	**8,443**	**40,902**
Tax Expense				
Current tax	2,793	2,487	2,323	10,300
Deferred tax	(54)	256	24	(358)
TOTAL TAX EXPENSE	**2,739**	**2,743**	**2,347**	**9,942**
PROFIT FOR THE PERIOD	**8,281**	**8,174**	**6,096**	**30,960**
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI)				
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss	(122)	34	136	(16)
Income tax on items that will not be reclassified subsequently to profit or loss	27	(8)	(29)	3
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss	(67)	(490)	644	118
Income tax on items that will be reclassified subsequently to profit or loss	21	192	(226)	(32)
TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME / (LOSSES)	**(141)**	**(272)**	**525**	**73**
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD	**8,140**	**7,902**	**6,621**	**31,033**
Paid up equity share capital	370	370	375	370
(Face value : ₹1 per share)				
Total Reserves				**74,424**

Earnings per equity share:- Basic and diluted (₹)	22.39	22.08	16.25	82.78
Dividend per share (Par value ₹1 each)				
Interim dividend on equity shares (₹)	7.00	-	5.00	23.00
Final dividend on equity shares (₹)	-	15.00	-	15.00
Total dividend on equity shares (₹)	7.00	15.00	5.00	38.00
Total equity dividend percentage	700	1,500	500	3,800

Select explanatory notes to the Statement of Audited Unconsolidated Interim Financial Results for the three month period ended June 30, 2021

1. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 - Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The results for the three month period ended March 31, 2021 are the balancing figures prepared on the basis of the standalone audited financial statements for the year ended March 31, 2021 and the standalone audited condensed interim financial results upto the third quarter ending December 31, 2020, which are prepared in accordance with the Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015. These results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 8, 2021. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
2. Pursuant to ruling at the Appeals Court on August 20, 2020, in the case relating to Epic Systems Corporation (referred to as Epic) for alleged unauthorised access to and download of Epic's confidential information and use thereof in the development of the Company's product MedMantra, considering all the facts and various legal precedence, on a conservative and prudent basis, the Company provided ₹1,218 crore (US $165 million) towards this legal claim in its consolidated statement of profit and loss for the three month period ended September 30, 2020. The Company filed a petition for re-hearing of the awards for both compensatory and punitive damages at the Appeals Court on September 3, 2020. Epic also filed for re-hearing of the Appeals Court's decision that invalidated a portion of the award of punitive damages. In November 2020, the petitions for re-hearing filed by the Company and Epic, respectively, were denied by the Appeals Court. The proceedings for assessing punitive damages have been remanded back to the District Court. Both the Company and Epic have filed their briefs at the District Court in relation to punitive damages. The matter is under consideration by the District Court. On April 8, 2021, Epic has approached the Supreme Court seeking review of the order of the Appeals Court vacating the award of ₹2,084 crore (US $280 million) towards punitive damages and remanding back to District Court with an instruction to reassess the punitive damages, to no more than ₹1,042 crore (US $140 million). The Company will continue to pursue all legal options available in the matter.
3. The Board of Directors at its meeting held on July 8, 2021, has declared an interim dividend of ₹7.00 per equity share.
4. The results for the three month period ended June 30, 2021, are available on the BSE Limited website (URL:www.bseindia.com/corporates), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com/corporates) and on the Company's website (URL: www.tcs.com/investors).

For and on behalf of the Board of Directors

Mumbai
July 8, 2021

Rajesh Gopinathan
CEO and Managing Director

एक नजर में

रघुवर दास, अनुराग गुप्ता व अजय कुमार पर पीसी एक्ट

रांची : राज्यसभा चुनाव-2016 में हार्स ट्रेडिंग के मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (पीसी एक्ट) की धाराएं लगा दी गई हैं। रांची पुलिस ने कांड के प्राथमिकी आरोपित एडीजी अनुराग गुप्ता व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सलाहकार अजय कुमार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं जोड़ने के बाद इसकी लिखित जानकारी न्यायालय को दी है। धारा जोड़ने के साथ ही इस कांड की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर से हटाकर डीएसपी रैंक के एसपी विनीत कुमार को सौंपी गई है। (राब्यू)

जहरीली शराब बेचने वाले रहम के हकदार नहीं : कोर्ट

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जहरीली शराब बेचने के आरोपित की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की। कहा कि ऐसे लोगों को रिहा किया गया तो समाज अनाथों और विधवाओं से भर जाएगा। कुछ पैसों के लिए लोगों का जीवन छीनने वाले किसी भी प्रकार से रहम के हकदार नहीं हैं। (राब्यू)

भाजपा ने अन्नामलाई को सौंपी तमिलनाडु की कमान

नई दिल्ली : भाजपा ने गुरुवार को के. अन्नामलाई को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजनीति में आने के लिए पद से इस्तीफा देने वाले अन्नामलाई एल. मुरुगन का स्थान लेंगे, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में राज्यमंत्री बनाए गए हैं। 37 वर्षीय अन्नामलाई राज्य भाजपा के न सबसे युवा अध्यक्ष हैं, बल्कि पार्टी में शामिल होने के एक साल के भीतर राज्य इकाई के प्रमुख बनने वाले भी पहले नेता हैं। राज्य के कोंगू क्षेत्र के करूर जिला निवासी अन्नामलाई किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। (प्रेट्र)

नए आइटी नियमों को केरल हाई कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली : न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने बताया कि उसने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों को चुनौती दी है। एनबीए का कहना है कि नए आइटी नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अत्यधिक अधिकार प्रदान करते हैं। एनबीए ने कहा कि आइटी नियमों के भाग-3 को चुनौती दी गई है, क्योंकि वे इंटरनेट मीडिया की सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यपालिका को निरंकुश व अत्यधिक अधिकार देने वाला निगरानी तंत्र तैयार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। (प्रेट्र)

मुसलमानों को राष्ट्रवादी सोच के साथ जोड़ने की पहल करेगा संघ

कोर ग्रुप सदस्यों और क्षेत्र प्रचारकों से संघ प्रमुख ने लिया फीड बैक

राजीव द्विवेदी • चित्रकूट

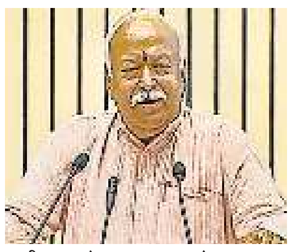

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में कहा था कि हर भारतीय का डीएनए एक है • फाइल फोटो

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के गाजियाबाद में दिए बयान का निहितार्थ प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में समझ में आ रहा है। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मुख्य बैठक शुरू होने से पहले कोर ग्रुप सदस्यों की संक्षिप्त बैठकों में हुए विमर्श से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संघ मुस्लिमों को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने की पहल करेगा। गुरुवार को कोर ग्रुप की बैठक में योगी सरकार के कामकाज और उसके जनप्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई।

प्रांत प्रचारकों की बैठक में आने से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गाजियाबाद में कहा था कि पूजन विधि के आधार पर हिंदू और मुसलमानों को अलग नहीं किया जा सकता। सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है।

उन्होंने भाषा, प्रांत और अन्य विषमताओं को छोड़ एक होकर भारत को विश्वगुरु बनाने की हिमायत भी की थी। प्रचारकों की बैठक शुरू होने से पहले ही समझ में आने लगा है कि संघ ने राष्ट्रवादी सोच के साथ मुस्लिमों को भी जोड़ने का मन बना लिया है। बैठक से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ अलग-अलग हुईं संक्षिप्त बैठकों में इसपर विमर्श भी किया गया। संघ की सोच में आ रहे बदलाव को बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व बंगाल में भाजपा के बढ़े प्रभाव को लेकर तो संतुष्ट है पर मुस्लिमों की राष्ट्रवादी सोच वाले दल से दूरी को लेकर फिक्रमंद भी है।

पांच राज्यों के चुनाव को लेकर चर्चा : संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित पांच राज्यों में चुनाव के अलावा गुजरात में साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर लेकर भी चर्चा हुई।

कोर ग्रुप की अति गोपनीय बैठक : गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों और सदस्यों वाले कोर ग्रुप की बैठक में शुक्रवार से शुरू हो रही बैठक के लिए तय एजेंडे पर चर्चा हुई। बैठक को लेकर गोपनीयता इस कदर है कि दीनदयाल शोध संस्थान में प्रांत प्रचारकों की बैठक का बंदोबस्त संभाल रहे महाकौशल प्रांत के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों तक को दूर रहने की हिदायत थी।

संघ प्रमुख ने किया पंचकर्म : राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों से पहले चित्रकूट पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत बीते दो दिन से आरोग्यधाम में आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा पंचकर्म से त्रिदोष निवारण के लिए उपचार करा रहे। 12 जुलाई को बैठक के समापन के बाद वह अधूरे पंचकर्म को पूरा करेंगे।

संघ की शाखाओं का संचालन शुरू करने पर होगा फैसला

मुख्य संवाददाता, चित्रकूट : चित्रकूट में शुक्रवार से शुरू हो रही अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक में आगामी कार्य योजनाएं तय की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के बाद सामान्य होते जनजीवन के बीच शाखाओं के संचालन, शिक्षा वर्ग पर विचार होगा। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर में सेवा कार्यों की तैयारी पर भी विमर्श किया जाएगा। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के मुताबिक, नौ और 10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारकों की बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और सभी पांच सह सरकार्यवाह मौजूद होंगे। संघ के सातों कार्य विभाग के प्रमुख व सह प्रमुख भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। 12 जुलाई को देश भर के सभी 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक एवं सह प्रांत प्रचारक आनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे।

हटाए गए मंत्रियों के पीछे कुछ खराब प्रदर्शन तो कुछ भविष्य की रणनीति

नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले छह हाईप्रोफाइल केंद्रीय मंत्रियों (कुल 12) से इस्तीफा लिए जाने के पीछे केवल प्रदर्शन आधार था या भविष्य की रणनीति, यह सवाल जोर पकड़ने लगा है। माना जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, केंद्रीय सूचना प्रसारण, पर्यावरण व भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय कानून, आइटी व टेलीकाम मंत्री रविशंकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के पीछे दोनों कारण थे।

सदानंद गौड़ा : यह बात किसी से छिपी नहीं है कि गौड़ा अपने गृहराज्य कर्नाटक में भी जातीय राजनीति के कारण बरकरार हैं। प्रदर्शन के मानक पर वे हमेशा से पीछे रहे हैं। प्रदेश में उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, लेकिन कुछ महीनों में ही हटा दिया गया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि केंद्र में उनके रसायन मंत्री रहते ही कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया और दवाओं की कमी से हाहाकार मच गया। आक्सीजन की कमी तो कुछ दिनों में खत्म हो गई, लेकिन गौड़ा दवाओं की कमी दूर नहीं कर पाए। गौड़ा की इस अक्षमता ने सरकार की बहुत किरकिरी कराई। आखिरकार सरकार ने उनके राज्यमंत्री मनसुख मांडविया को आगे बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि उन्हें 2023 के कर्नाटक चुनाव में उपयोग किया जाएगा।

रमेश पोखरियाल निशंक : उत्तराखंड चुनाव में निशंक की उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन, केंद्र में शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय में निशंक वह धमक नहीं दिखा पाए जिसकी अपेक्षा थी। कई कारणों से अभी वे तो कभी उनका स्टाफ, कभी उनकी तैयारी की कमी विवादों में रही। अभी दर्जनभर से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वीसी के पद खाली हैं। उन्होंने जो लिस्ट बनाकर भेजी, उसे पीएमओ ने पूरी तरह रद कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने तो उन्हें खुली चुनौती तक दे दी थी। मंत्रालय के कामकाज पर कमजोर पकड़ का अंदाजा इससे लगता है कि एक साहित्यिक पत्रिका जिसे हिंदी संस्थान से फंड मिल जा रहा था, में केंद्र सरकार को तुलकर बताया जा रहा था। उनके एक निजी स्टाफ के कमरे में कुछ दिन के लिए ताला लगा भी दिया गया था। मामला शायद कुछ अनियमितताओं से जुड़ा था।

रविशंकर प्रसाद : रविशंकर के जाने के पीछे प्रदर्शन का आधार कम है। पूरे देश में आप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए भारत नेट के क्रियान्वयन में जरूर थोड़ी देर हुई, लेकिन अभी दो सप्ताह पहले ही कैबिनेट ने 16 राज्यों के 3.60 लाख गांवों में पीपीपी माडल से फाइबर बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को 1000 दिन का वक्त तय किया था। बहरहाल उनका आक्रामक तेवर जरूर सवालों में था। ट्विटर के साथ छिड़ी जंग और अंतरराष्ट्रीय लाबी को एक कारण माना जा रहा है, लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि नए आइटी मंत्री ने भी वही सुर दोहराया है। वैसे भी ट्विटर को छोड़कर फेसबुक, गूगल, वाट्सएप जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ने कानून पर अमल शुरू कर दिया था। टेलीकाम सेक्टर जरूर संकट में पड़ा और रविशंकर उसे सुधारने में असमर्थ दिखे। इसके कई बाह्य कारण भी हैं, लेकिन रविशंकर से आशा थी कि वे इसे दुरुस्त करेंगे। 5जी के रोलआउट में भी भारत पीछे दिखा। वैसे रविशंकर को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की पूरी संभावना है।

हर्षवर्धन : यह सभी को याद होगा कि साफ छवि के हर्षवर्धन को अपेक्षा अनुकूल प्रदर्शन न दे पाने के कारण पिछली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा था। इस बार कोरोना की लहर में वे लगभग गायब ही हो गए। वे न तो नेतृत्व देते दिखे और न ही सरकार की आवाज बन पाए। स्वास्थ्य यूं तो राज्य का विषय है, लेकिन चाहे अनचाहे उनकी शिथिलता के कारण ही कोरोना का पूरा ठीकरा केंद्र के सिर फूटा।

थावरचंद गहलोत : 73 वर्ष के हो चुके थावरचंद को यूं तो राज्यपाल बनाया जा चुका है। उन्हें हटाकर जहां मध्य प्रदेश से नए मंत्री को शामिल करने की जगह बनाई गई, वहीं यह संदेश भी साफ है कि 75 की आयु का फार्मूला थोड़ा पहले भी लागू हो सकता है।

प्रकाश जावडेकर : 70 साल के हो चुके जावडेकर की शिथिलता को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पर्यावरण में जरूर उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई लेकिन कोरोना काल में सूचना प्रसारण सुस्त पड़ा रहा। देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कुछ वर्गों की ओर से केंद्र को कठघरे मे खड़ा किया जा रहा था तो जावडेकर से सक्रिय होने की आशा थी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में सरकार को नए सक्रिय चेहरे की जरूरत थी। माना जा रहा है कि जावडेकर के लिए सक्रिय राजनीति से परे की भूमिका देखी जा रही है।

एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में संशोधन से बढ़ेंगे रोजगार : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कृषि बुनियादी ढांचा कोष (एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) के तहत केंद्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण योजना में संशोधन के मंत्रिमंडल के निर्णय को दूरदर्शी निर्णय बताते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न सिर्फ एपीएमसी और सशक्त होंगी बल्कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

इस संशोधन के तहत कृषि बुनियादी ढांचा कोष के तहत वित्तीय सुविधाएं कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी), राज्य एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य महासंघों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के साथ स्वयं सहायता समूह के महासंघ (स्वयं सहायता समूह) के लिए भी उपलब्ध होंगी। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, शाह ने कहा कि एपीएमसी के लिए एक ही कृषि मंडी के भीतर कोल्ड स्टोरेज, साइलो, छंटाई, मानकीकरण, जांच-परख इकाइयां आदि विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए दो करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि के प्रति कटिबद्ध है। यह ऐतिहासिक निर्णय एपीएमसी की व्यवस्था को और सुदृढ करने के प्रति मोदी सरकार के संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत एपीएमसी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) के महासंघों और राष्ट्रीय तथा राज्य सहकारी समितियों के महासंघों को शामिल करने से कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा जिससे रोजगार सृजन भी होगा।

नई दिल्ली में निशीथ प्रमाणिक (बाएं) व अजय कुमार (बाएं से दूसरे) ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की • एएनआइ

सिंधिया का फेसबुक पेज हैक, पोस्ट किए मोदी को कोसने वाले वीडियो

नईदुनिया, ग्वालियर : ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उनका अधिकृत फेसबुक अकाउंट (पेज) हैक हो गया। हैकर ने मोदी को कोसने वाले सिंधिया के पुराने वीडियो पेज पर अपलोड कर दिए। सात और आठ जुलाई की दरम्यानी रात 12:24 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा अकाउंट हैक किए जाने के मामले को लेकर पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल द्वारा क्राइम ब्रांच में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है।

हैकर ने सिंधिया के पेज पर उनके कांग्रेस में रहने के दौरान दिए भाषणों के पुराने वीडियो अपलोड कर दिए थे। इन वीडियो में सिंधिया भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोस रहे थे। हालांकि, पेज हैक होने के कुछ समय बाद ही सिंधिया की टीम सक्रिय हो गई और सभी वीडियो समेत अन्य पोस्ट को डिलीट कर फेसबुक अकाउंट रिकवर कर लिया गया। सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस पर हैकिंग कराने का आरोप लगाया है।

पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल बह गया

जासं, देहरादून : उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण चीन सीमा को जोड़ने वाला कुलागाड़ मोटर पुल बह गया।

दादा को बधाई देने पहुंचीं दीदी

कोलकाता में गुरुवार को बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली को जन्मतिथि पर बधाई देने उनके आवास पहुंचीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस दौरान गांगुली ने ममता को साड़ी भी भेंट की। दोनों की मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं • प्रेट्र

पड़ोसी राज्यों से चर्चा के बाद कांवड़ यात्रा पर फैसला करेगा उत्तराखंड

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा पर पड़ोसी राज्यों से विचार-विमर्श कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। दूसरी तरफ, चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही सरकार कदम आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा को लेकर बैठक हुई। इस दौरान धामी ने कहा कि यात्रा को लेकर जनता की राय का भी सम्मान किया जाना चाहिए। कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। बैठक में बताया गया कि कैबिनेट निर्णय के क्रम में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जा चुकी है। कहा गया कि हाई कोर्ट ने बड़ी संख्या में यात्रियों की आमद से कोरोना के प्रसार की आशंका को देखते हुए ही चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाई है। कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बैठक में कुंभ के दौरान आए यात्रियों का हवाला देते हुए बताया गया कि इन्हें नियंत्रित करने में दिक्कतें आई थीं और कुंभ के लिए बनाए गए मानकों का भी अनुपालन नहीं हो पाया।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–66.
वेबसाइट: www.beeindia.gov.in फोन: 011–26766700

21वीं ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा का पुनर्निर्धारण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 22 और 23 मई, 2021 को होने वाली ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा–परीक्षकों की 21वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया है, अब यह परीक्षा 25 और 26 सितम्बर, 2021 को आयोजित की जाएगी।

अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक निर्धारित समय अवधि के लिए पोर्टल पंजीकरण को पुनः शुरू किया जाएगा! जिससे कि इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं किया है, उपरोक्त परीक्षा के लिये पंजीकरण कर सके!

विवरण–पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट www.aipnpc.org और www.beeindia.gov.in देखें।

पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

DAVP 34106/11/0007/2122 सचिव

ईआरनेट इण्डिया
(इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जीओआई के तहत एक स्वशासी सोसाइटी)
5 फ्लोर, ब्लाक 1, 'ए' विंग
डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली– 110053

ईआरनेट इण्डिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित पद को पूर्णतः अनुबंध आधार पर भरने के इच्छुक है।

पद का नाम	अस्थाई तिथि	अनुबंध आधार पर रिक्तियों की संख्या	मासिक वेतन
परियोजना अभियंता स्तर 1	19.07.2021	01	रु. 27000/–
परियोजना अभियंता स्तर 2	20.07.2021	01	रु. 32500/–
परामर्शदाता (स्थापना/प्रशा.)	23.07.2021	01	रु. 50,000/– एवं 1500 वाहन भत्ता

इच्छुक उम्मीदवार इस संबंध में अग्रिम विवरण हेतु केरियर सेक्शन के तहत हमारी वेबसाइट www.eis.ernet.in का संदर्भ ग्रहण करें।

रजिस्ट्रार एवं निदेशक (पी एवं ए)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा-1 (पी–2) ग्रेटर नौएडा.
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइटः www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक : वाई.ई.ए./भुलेख)(तह. आर.एस.)/163/2021 दिनांक : 08.07.2021

सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है–

ग्राम वीरमपुर, सैक्टर–32 (रोड़ न.–18/चंक) के अन्तर्गत क्रय भूमि का विवरण

क्रं सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	खातेदार का नाम व पता	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा (हे. में)	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (हे. में)
1	58	251	3.0920	क्षेत्रपाल शर्मा पुत्र दयाराम शर्मा नि0 ग्राम	1/5 भाग (0.6184)	0.6184
2	343	288	2.4120	रणधीर सिंह पुत्र काशीराम नि0 दुर्गापुरी दिल्ली	में से	0.2108
					कुल	0.8292

भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अंदर विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं।

विशेष कार्याधिकारी

200 यूनिट मुफ्त बिजली देने को लेकर असमंजस में कैप्टन सरकार

इन्द्रप्रीत सिंह • चंडीगढ़

पंजाब में बिजली सब्सिडी आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली माडल को लेकर रक्षात्मक रवैया अपना रही कैप्टन सरकार जल्द ही आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती है। हालांकि सरकार अभी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने या न देने को लेकर किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। इस पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं।

मालूम हो कि दस दिन पहले पंजाब के हर घर को दो सौ यूनिट निश्शुल्क देने के कांग्रेस हाई कमान के फैसले को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पावरकाम के अधिकारियों से डाटा मांगा था। इसमें यह बात सामने आई कि मुफ्त बिजली और सब्सिडी देने में पंजाब दिल्ली से आगे है। राज्य में 40 लाख उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिल रही है।

सरकार में चर्चा हो रही है कि अब और ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिजली विभाग ने इस पर तीन से चार हजार करोड़ रुपये का बजट बताया है, जो सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है। कारण यह कि राज्य सरकार पहले ही 10434 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी पर खर्च कर रही है।

बिजली कट से परेशान किसान ने दी जान : जिले के लंबी में बिजली संकट के कारण धान की फसल सूखने से परेशान होकर गांव माहूआना के 35 वर्षीय किसान बलजीत सिंह ने खेत में ही टाहली के पेड़ से फंदा लगा लिया। साले जगमीत सिंह ने बताया कि बिजली संकट के कारण पानी नहीं दे पाने से धान की फसल सूख गई थी, जिससे वह परेशान था।

दिल्ली से सस्ती है पंजाब में बिजली

- दिल्ली और पंजाब की तुलनात्मक रिपोर्ट में पावरकाम के अधिकारियों ने दावा किया है कि दिल्ली में कामर्शियल बिजली पंजाब की तुलना में साढ़े तीन रुपये प्रति यूनिट महंगी है। पंजाब में इसकी दर 7.97 रुपये प्रति यूनिट है तो दिल्ली में 11.34 रुपये प्रति यूनिट है।
- पंजाब में सालाना 467130 लाख यूनिट बिजली बेचकर 29903 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। इसके मुकाबले दिल्ली में 274360 लाख यूनिट बेचकर 20556 करोड़ रुपये राजस्व मिलता है। यानी पंजाब को प्रति यूनिट औसत 6.40 रुपये जबकि दिल्ली को प्रति यूनिट 7.49 रुपये मिलते हैं।
- पंजाब सरकार बिजली पर 10458 करोड़ रुपये तो दिल्ली सरकार 2820 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है। यानी पंजाब सरकार सब्सिडी पर 2.24 रुपये जबकि दिल्ली सरकार 1.03 रुपये प्रति यूनिट खर्च कर रही है। सब्सिडी निकालकर पंजाब को 19445 करोड़ रुपये तो दिल्ली को 17336 करोड़ रुपये राजस्व मिलता है।

राष्ट्रीय खेल घोटाले में ईडी ने तेज की जांच

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य में 2011 के बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने जांच तेज कर दी है। ईडी की टीम एक-एक कर सभी आरोपितों का पक्ष ले रही है, ताकि घोटाले से संबंधित सभी तथ्य सामने आ सकें। दो दिन पहले ही झारखंड हाई कोर्ट ने एक आरोपित आरके आनंद की याचिका खारिज कर दी थी। आनंद ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को नियम विरुद्ध व गलत बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

28.38 लाख रुपये के इस घोटाले में एसीबी ने सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। आरोपितों में आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, सचिव एसएम हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा दो स्क्वैश ग्राउंड बनाने में अनियमितता को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को भी आरोपित बनाया गया था।

एसीबी के चार्जशीट के आधार पर ही ईडी ने मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत पिछले वर्ष केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही पूरे मामले की जांच जारी है। इस घोटाले से संबंधित जो-जो आरोपित हैं उन्हें ईडी नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

नोटिस

एतद्वारा सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डॉस3/सीआईआर/पी/2018/139 दिनांक 8 नवंबर, 2018 के अनुसार नोटिस दिया जाता है, कंपनी को नीचे उल्लिखित इक्विटी शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है क्योंकि ये इक्विटी शेयर उनके द्वारा लंबे समय से खरीदे गए थे और पहले उनके नाम पर स्थानांतरित/पंजीकृत नहीं हो सका।

क्र. सं.	फोलियो सं.	अंतरणकर्ता (ओं) का नाम और पता	अंतरिती का नाम और पता	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट संख्या से	विशिष्ट संख्या तक	शेयरों की संख्या
1	168654	के.के. श्रीवास्तव हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीसनतनगर, हैदराबाद–500018	रामस्वरूप अग्रवाल, 21–3–108, लगड़ी नाका, हैदराबाद–500002	344829 344831 344833 344835 344843 344845	19181807 19182007 19182207 19182407 19183207 19183407	19181906 19182106 19182306 19182506 19183306 19183506	600
2	168656	अंबिका श्रीवास्तव हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सनतनगर, हैदराबाद–500018	रामस्वरूप अग्रवाल, 21–3–108, लगड़ी नाका, हैदराबाद–500002	461438	30832707	30832806	100
3	168655	अंबिका श्रीवास्तव सुवर्ण कुमार श्रीवास्तव हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सनतनगर, हैदराबाद–500018	रामस्वरूप अग्रवाल, 21–3–108, लगड़ी नाका, हैदराबाद–500002	461486 461488	30838507 30838707	30838606 30838806	200

उपरोक्त शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है। इन शेयरों के संबंध में किसी भी व्यक्ति (यों) के पास कोई दावा/आपत्ति हो, तो कृपया इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर कंपनी सचिव को नोटिस में दिए गए पते पर सूचित करें, ऐसा नहीं करने पर कंपनी उक्त शेयरों को खरीदने और मूल शेयर प्रमाण पत्रों को रखने का दावा करने वाले अंतरिती के पक्ष में पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर देगी।

हस्ता./–
(एम. बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

दिनांक: 8 जुलाई, 2021
स्थान: नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय : इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
फोन : +91 11 24367481; फैक्स : +91 11 24367015
कार्पोरेट आइडेंटिटी नंबर : L27109DL1973GOI006454, वेबसाइट : www.sail.co.in
हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

नौएडा
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, (उ.प्र.)
वेबसाइट: www.noidaauthorityonline.com

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा 5 प्रतिशत आबादी के आवासीय भूखण्डों के मूल काश्तकारों/आवंटियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :–

- कार्यालय आदेश दिनांक 10.06.2008 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया था कि पटटा प्रलेख निष्पादन हेतु अधिकतम 3 वर्ष की सशुल्क समयवृद्धि के उपरान्त भी आवंटी द्वारा पटटा प्रलेख निष्पादन न कराने की दशा में भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
  इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन मूल काश्तकारों द्वारा पटटा प्रलेख निष्पादन हेतु निर्धारित अधिकतम 3 वर्ष की समयवृद्धि के उपरान्त भी पटटा प्रलेख का निष्पादन नहीं कराया है। ऐसे प्रकरणों में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त न मानते हुए दिनांक 27.07.2021 की तिथि तक का अन्तिम अवसर विलम्ब शुल्क सहित प्रदान किया जायेगा।
- जिन मूल काश्तकारों द्वारा पटटा प्रलेख निष्पादन के उपरान्त कब्जा नहीं लिया गया है उन प्रकरणों में दिनांक 27.07.2021 की तिथि तक का अन्तिम अवसर कब्जा लेने हेतु विलम्ब शुल्क सहित प्रदान किया जायेगा।
- उपरोक्त दोनों दशाओं में विलम्ब शुल्क प्रथम वर्ष भूखण्ड की आवंटित दर का 1 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 2 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 3 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष 4 प्रतिशत, पाँचवे वर्ष 5 प्रतिशत, छठे वर्ष 6 प्रतिशत, सातवें वर्ष 7 प्रतिशत, आठवें वर्ष 8 प्रतिशत, नवें वर्ष 9 प्रतिशत, दसवें वर्ष 10 प्रतिशत एवं उसके उपरान्त भूखण्ड की आवंटन दर का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी करते हुये विलम्ब शुल्क देय होगा।
- दिनांक 27.07.2021 के उपरान्त किसी भी दशा में अग्रिम समय प्रदान नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1 संख्या 1117/79–वि–1–2020–2(क)–17–2020 दिनांक 28.07.2020 के द्वारा निमार्ण कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी हैं। अतः उपर्युक्त निर्णय से प्रभावित समस्त प्रकरण उक्त अध्यादेश (समय–समय पर संशोधनों सहित) से अच्छादित होंगे।

विशेष कार्याधिकारी
आवासीय भूखण्ड

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा